सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

बनाम कासमकाम — बनाम परिवारम आदि

मुकदमा नं. धारा 212 RT Act — 180/2025

6/1/26

पत्रावली पेश हुई। वकील अनुरोध पत्र उप। प्रार्थिका आसावरी देवी की ओर से एडवोकेट महेन्द्र पालड़ ने पीठासीन अधिकारी आवेदन पत्र का आदेश 1 नियम 10 CPC का हटाने की प्रार्थना की। आवेदन पत्र की प्रति एडवोकेट को दिलाई गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र का आदेश 7 नियम 10 एवं 10(ए) CPC वाले वाद पत्र/आवेदन का मुख्य न्यायालय में स्थानांतरण का लोवेद पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। आवेदन पत्र का आदेश 7 नियम 10 एवं 10(ए) CPC पर पूरा मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया है कि इस प्रकरण में विवादित आराजी ग्राम नावलकुटा पटवार हल्का, अलोदा रूपाणी क्षेत्र तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। जिसे पूरे का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रैक) दांतारामगढ़ जिला सीकर को है। इसीलिए यह पत्रावली सं. 180/2025 धारा 212 RT Act अवमानी का मूल दावा परिवारम आदि आगामी पूर्वाई के लिए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रैक) दांतारामगढ़ जिला सीकर को स्थानांतरित की जाती है। पक्षकारान के अधिवक्तागण को नोटिस कराया जा चुका है। पक्षकारान आगामी पूर्वाई हेतु दिनांक 5/2/26 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (फास्ट ट्रैक) दांतारामगढ़ जिला सीकर के यहां उपस्थित होवे।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Mahendra

अभिभाषक संघ, सीकर